5/2004 प्रभात बनाम मूली देवी

दिनांक	आज्ञा पत्र
5-1-18	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्ट / रेस्पो० उपस्थित [illegible] आज [illegible] है । अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 16-1-18 को पेश हो ।
16.1.18	बुलाये फरीकैन उपस्थित । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि ढाणी दुधवालों की तन चला में आराजी ख0नं0 1165, 1170, 1171, 1174, 1176, 1177, 1178, 1172, 1173 कुल किता-9 रकबा 7.47 हैक्टर अपीलान्ट की स्वअर्जित भूमिया हैं । किन्तु रेस्पो0 सं0-1 से 4 ने रेस्पोडेन्ट सं0-5 से 9 से साजिश कर अदालत मातहत में एक दावा उक्त आराजीयों को पैत्रिक बताते हुये पेश किया । जिसमें अपीलान्ट को मुगालते मे रखकर दिनांक 20-4-2000 को अदालत मातहत में अंगूठा निशानी लगाकर रेस्पोडेन्ट ने निर्णय अपने पक्ष में करवा लिया । जबकि अपीलान्ट ने विवादित आराजी मे रेस्पोडेन्ट का कोई हक हिस्सा होना नही माना है तथा ना ही किसी प्रकार का सहमति पत्र पेश किया है । तथा ना ही विवादित आराजी को पैत्रिक होना माना है । विवादित आराजी अपीलान्ट की स्वअर्जित भूमिया हैं । रेस्पोडेन्ट का उक्त आराजी न तो कोई कब्जा रहा है और ना ही कभी रेस्पोडेन्ट ने उक्त आराजी

पर काश्त की है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 कभी भी इस ग्राम में नहीं रहे वो जन्म से ही ग्राम चला में रह रहें है । अपीलान्ट ने सन् 1996 में जबाब दावा पेश किया जिसमे भी इस आराजी को पैत्रिक नही माना है बल्कि इस आराजी को स्वअर्जित बताते हुये जबाब दावा पेश किया गया है ।अदालत मातहत ने जबाब दावे पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट से बेदखल करने की धमकी दिनांक 24-1-2004 को दी तब अदालत मातहत के आदेश की जानकारी होने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद है ।अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक भूमिया है ।अपीलान्ट ने अदालत मातहत में हाजिर होकर स्वीकार किया है कि वादीगण/ रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 का 1/7 हिस्सा है। अदालत मातहत ने सहमति के आधार पर दावा डिक्री किया है । अदालत मातहत के निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी वर्ष सं02048 से 2051 में आराजी ख0नं0 1165, 1170, 1171, 1174, 1176, 1177, 1178 1172, 1173 कुल किता-9 रकबा 7.47 हैक्टर की खातेदारी अपीलान्ट प्रभात पुत्र मोती के नाम दर्ज है ।नकल खतौनी सं0 2011 से 2027 में भी विवादित आराजी प्रभात पुत्र मोती के नाम दर्ज है । अदालत मातहत ने केवल अपीलान्ट के फर्द अहकाम पर अंगूठा निशानी दर्ज करने पर ही अदालत मातहत ने वादीगण को 1/7 हिस्से का खातेदार दर्ज किया है जो विधि के विपरित है ।जिसको यथावत रखा जाना उचित नहीं मानते हैं ।

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अदालत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय दिनांक 20-4-2000 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारों के दावा व जबाब दावा के आधार पर साक्ष्य सबूत लेते हुये विधि प्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 26-2-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	